# कार्यालय नगर निगम कोटा

क्रमांकः'– ननिको /का.अ./2015/ 1197–1211 दिनांक :–31/8/15

–: **कार्यालय आदेश** :–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.9(ग)समिति गठन/डीएलबी/2015/728–733 दिनांक 22.07.2015 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा (5) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम कोटा के लिए धारा 55 की उप धारा (1) व उप समितियां धारा(3) के खण्ड (I) से (VII) के अंतर्गत समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार कर्त्तव्य एवं अधिकार प्रदान किये जाते है।

| क्र. सं नाम समिति | नाम | पद |
|---|---|---|
| **1.कार्यकारी समिति** | 1. श्री महेश विजय, महापौर | अध्यक्ष |
| | 2. श्रीमती सुनिता व्यास उपमहापौर | उपाध्यक्ष |
| | 3. विपक्ष के नेता (पद रिक्त) | सदस्य |
| | 4. श्री रमेश आहूजा | सदस्य |
| | 5. श्री ध्रुव प्रकाश राठौर | सदस्य |
| | 6. श्री चिमन लाल बैरवा | सदस्य |
| | 7. श्रीमती ममता महावर | सदस्य |
| | 8. श्रीमती कमलेश बाई नागर | सदस्य |
| | 9. श्री ओम कृष्ण गुंजल | सदस्य |
| | 10.श्री मोहम्मद हुसैन (मोम्दा) | सदस्य |
| | **उपधारा (3) के अन्तर्गत गठित समितियों के अध्यक्ष सदस्य** | |
| | 11. अध्यक्ष भवन निर्माण स्वीकृति समिति | सदस्य |
| | 12. अध्यक्ष राफाई व्यवस्था समिति (1) | सदस्य |
| | 13. अध्यक्ष सफाई व्यवस्था समिति (2) | सदस्य |
| | 14. अध्यक्ष वित्तीय समिति | सदस्य |
| | 15. अध्यक्ष. स्वास्थ्य स समिति | सदस्य |
| | 16. अध्यक्ष नियम व उपनियम व वाद समिति | सदस्य |
| | 17. अध्यक्ष अपराधों के शमन की समझौता समिति | सदस्य |
| | 18. अध्यक्ष गन्दी बस्ती सुधार समिति | सदस्य |
| | 19. अध्यक्ष सर्वाजनिक रोशनी व्यवस्था समिति | सदस्य |
| | 20. अध्यक्ष जल वितरण व्यवस्था समिति | सदस्य |
| | 21. अध्यक्ष मेला व अन्य उत्सव आयोजन समिति | सदस्य |
| | 22. अध्यक्ष राजस्व कर वसूली समिति | सदस्य |
| | 23 अध्यक्ष गैराज वाहन संधारण व्यवस्था समिति | सदस्य |
| | 24. अध्यक्ष स्वर्ण जयन्ती रोजगार प्रबन्धन समिति | सदस्य |
| | 25. अध्यक्ष गौशाला धर्मदा प्रबन्धन समिति | सदस्य |
| | 26. अध्यक्ष अतिक्रमण निरोधक समिति | सदस्य |
| | 27.. अध्यक्ष. निर्माण (वर्क्स) समिति | सदस्य |
| | 28. अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन, फायर ब्रिगेड सहायता समिति | सदस्य |
| | 29. अध्यक्ष प्रचार प्रसार व पुस्तक वाचनालय समिति | सदस्य |
| | 30. अध्यक्ष नगर आयोजन एवं सौन्दर्यीकरण समिति | सदस्य |

31. अध्यक्ष उद्यान प्रबन्ध समिति — सदस्य
32. अध्यक्ष सुरक्षा समिति — सदस्य
33. अध्यक्ष भूमि भवन सम्पदा समिति — सदस्य
34. आयुक्त — सचिव

यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 335 में कर्मचारियों की नियुक्ति व अनुशासनात्मक, दण्डात्मक, अधिकारों का बोर्ड की ओर से प्रयोग करना। धारा 89,100,156,161 से 163,165,173,174,176,198,199,246,252 से 254,258,323,324 तथा भू–निष्पादन नियम और तत्सम्बन्धित संविदा की स्वीकृति प्रदान करना प्रशासनिक सम्बन्धित एक्ट की तत्सम्बन्धित धाराओं एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगी।

**1. भवन निर्माण स्वीकृति समिति**

1. श्री महेश विजय, महापौर — अध्यक्ष
2. श्रीमती सुनिता व्यास उपमहापौर — सदस्य
3. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा — सदस्य
4. श्री महेश गौतम (लल्ली) — सदस्य
5. श्री पवन अग्रवाल — सदस्य
6. श्री प्रकाश सैनी — सदस्य
7. श्री रमेश आहूजा — सदस्य
8. श्री इन्द्र कुमार जैन — सदस्य
9. श्री चन्द्र प्रकाश सोनी — सदस्य
10. श्री दौलतराम मेघवाल — सदस्य

यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 166 से 171,177,183,194,236,237 व 238 से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों का निर्वहन भवन निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रभावशील भवन निर्माण उप–नियम /विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगी। भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में धारा 182 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रचलित/प्रभावशाली नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

**3. वित्तीय समिति**

1. श्री चन्द्र प्रकाश सोनी — अध्यक्ष
2. श्री महेश गौतम (लल्ली) — सदस्य
3. श्री पवन अग्रवाल — सदस्य
4. श्री ध्रुव प्रकाश राठौर — सदस्य
5. श्री रमेश चतुर्वेदी — सदस्य
6. श्री अतुल कौशल — सदस्य
7. श्रीमती मधु कुमावत — सदस्य
8. श्री कृष्ण मुरारी सामरिया — सदस्य
9. श्री दिलिप पाठक — सदस्य
10. श्री जगदीश सिंह मोहिल — सदस्य

यह समिति प्रचलित विधि प्रावधानों के अनुसार निगम के अकाउन्ट्स संबंधित लेखा–जोखा संधारण का उत्तरदायित्व भी निभायेगी और निगम के लेखाओं के ऑडिट संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही का संचालन ओर कार्यो का निर्वहन करेगी तथा समय –समय पर बजट प्रस्ताव बजट के पुर्ननियोजन, सप्लीमेन्ट्री बजट तथा बाहरी अर्थअर्जन संबंधित कार्यो का निष्पादन। धारा 74,76 से 89 व 90 से 100 तक की धाराओं के प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करना किन्तु बजट संबंधित सभी प्रकरण/विषय कार्यकारिणी समिति के परीक्षण के बाद बोर्ड के समक्ष किये जायेगें। धारा 100 में प्राविधित वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप कार्यकारी समिति के माध्यम से बोर्ड में प्रस्तुत किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| 4. **स्वास्थ्य समिति** | 1. श्री दौलतराम | अध्यक्ष |
| | 2. श्रीमती सुनिता मीणा | सदस्य |
| | 3. श्री इन्द्र कुमार | सदस्य |
| | 4. श्रीमती स्नेहलता सिंह | सदस्य |
| | 5. श्रीमती हेमा सक्सेना | सदस्य |
| | 6. श्रीमती रजिया पठान | सदस्य |
| | 7. श्री रामलाल भील | सदस्य |
| | 8. श्रीमती शकुन्तला बैरवा | सदस्य |
| | 9. श्री सुरेश मीणा | सदस्य |
| | 10.श्रीमती मधु कंवर | सदस्य |

यह समिति नगर निगम की सीमा में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जिन कर्तव्यों का निर्वहन परम्परागत किया जाना सम्भव हो उस उत्तरदायित्व को निभायेगी। धर्मशाला व अन्य कम्यूनिटी सेन्टरों तथा अधिनियम की धारा 46 (II)खण्ड (a) से (d) तक व उन धाराओं के अधिकारों का प्रयोग करेगी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुये है । निगम सीमा में आम रास्तों पर विचरण करने वाले जानवरों को पकड़वाकर कॉयन हाउस अथवा गौशाला जैसी स्थिति हो में बन्द करवायेगें। डेयरी फर्म की व्यवस्था से जुड़े व्यवसायियों, प्लास्टिक उत्पादन विकय की गतिविधियों से जुड़े उन प्रकरणों पर नियंत्रण करेगी जो विधि अनुरूप निषेध है। स्लॉटर हाउस के नियंत्रण और अधिनियम की धारा 175 व 282 में उल्लेखित अन्य व्यवस्था, निरीक्षण और जन अनुत्रास(public nuisance) को रोकने संबंधित कार्यो के प्रबन्धन के लिए सफाई व्यवस्था समिति के आपसी समन्वय एवं सहयोग से जनहित में उत्तरदात्वि निभायेगें । यदि इन दोनों समितियों के संयुक्त बैठक की आवश्यकता हुई तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सफाई व्यवस्था समिति के अध्यक्ष करेगें।

| | | |
|---|---|---|
| 5. **नियम व उपनियम व वाद समिति** | 1. श्री सुरेश मीणा | अध्यक्ष |
| | 2. श्री बृजमोहन गौड़ | सदस्य |
| | 3. श्रीमती वन्दना अग्रवाल | सदस्य |
| | 4. श्री राकेश पुटरा | सदस्य |
| | 5. श्री बशरूद्दीन कुरैशी | सदस्य |
| | 6. श्रीमती महक गौतम | सदस्य |
| | 7. श्रीमती मधु कंवर | सदस्य |
| | 8. श्रीमती दुर्गेश कुमारी | सदस्य |
| | 9. श्री दीनदयाल चौबदार | सदस्य |
| | 10.श्री अनिल सुवालका | सदस्य |

यह समिति बोर्ड की ओर से धारा 298,303 व निगम द्वारा योग्य न्यायालयों में दायर होने वाले तथा निगम के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले वाले दावों की पैरवी की व्यवस्था करवायेगी और निगम के विधि विभाग से संबंधित मामलों को निष्पादित करायेगी। धारा 339 व 340 के अन्तर्गत निगम की ओर से नियमों, उप– नियमों के प्रारूप तैयार करवाकर बोर्ड की स्वीकृति के लिए बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कराने की व्यवस्था भी करेंगी।

| | | |
|---|---|---|
| 6. **अपराधों के शमन की समझौता समिति** | 1. श्रीमती पारस कंवर | अध्यक्ष |
| | 2. श्री विनोद नायक | सदस्य |
| | 3. श्री महेश गौतम (सोनू) | सदस्य |
| | 4. श्रीमती रजिया पठान | सदस्य |
| | 5 श्री बशरूद्दीन कुरैशी | सदस्य |
| | 6. श्री रामलाल भील | सदस्य |

7. श्री युधिष्ठर चॉनसी — सदस्य
8. श्रीमती शमा परवीन — सदस्य
9. श्रीमती हेमा सक्सेना — सदस्य
10. श्रीमती धापू मेहरा — सदस्य

धारा 299,306 के अधिकारों के प्रयोग के साथ धारा 337 से 340 तक बनाये गये नियमों, उप–नियमों व विनियमों एवं अधिनियम के अर्न्तगत समय –समय पर प्रचलित अन्य विधियों, उप विधियों में आरोपित जुर्माना, ब्याज व अन्य शास्ति जो बोर्ड द्वारा वसूल की जा सकती है के संबंध में समझौता कर सकने की शक्तियों का बोर्ड की ओर से प्रयोग, ये समिति करेंगी।

7. **गन्दी बस्ती सुधार समिति**

1. श्री विकास तंवर — अध्यक्ष
2. श्री मो0 युसुफ — सदस्य
3. श्रीमती रेखा लखारा — सदस्य
4. श्रीमती ममता कंवर — सदस्य
5. श्रीमती धापू मेहरा — सदस्य
6. श्रीमती ममता महावर — सदस्य
7. श्रीमती कमलेश नागर — सदस्य
8. श्रीमती स्नेहलता सिंह — सदस्य
9. श्री बशरूद्दीन कुरैशी — सदस्य
10. सुश्री मोनू कुमारी मेघवाल — सदस्य

निगम क्षैत्राधिकार की कच्ची बस्तियों का नियमन एवं बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धि के लिए योजनाएं तैयार कर निर्माण समिति को कियान्वयन के लिए प्रस्तुत करना निर्माण स्वीकृति नियमानुसार सक्षम वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त कार्य करायेगी। कच्ची बस्ती के संबंध में पुर्नवास इत्यादि के लिए जो योजनाएं समय–समय पर निगम क्षैत्राधिकार के लिए प्रभावी होगी कियान्वन की मॉनिटरिंग भी यह समिति करेंगी।

8. **सर्वाजनिक रोशनी व्यवस्था समिति**

1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा — अध्यक्ष
2. श्री रमेश आहूजा — सदस्य
3. श्रीमती महक गौतम — सदस्य
4. श्रीमती रंजिया पठान — सदस्य
5. श्री गिर्राज प्रसाद — सदस्य
6. श्री रामलाल भील — सदस्य
7. श्री चिमन लाल बैरवा — सदस्य
8. श्रीमती स्नेहलता सिंह — सदस्य
9. श्रीमती वन्दना अग्रवाल — सदस्य
10. श्री अनिल सुवालका — सदस्य

नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थानों की रोशनी सहित रोड़ लाइट संधारण, जनहित में रोड़ लाइट का विस्तार व नगर निगम के अधिपत्य में निहित अन्य सम्पत्तियों की बिजली सम्बन्धित व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व बोर्ड की ओर से यह समिति निर्वहन करेगी। इस समिति की अनुशंषा पर रोशनी व्यवस्था के लिए उपकरणों की उपलब्धता सक्षम स्तर से की जायेगी।

9. **जल वितरण व्यवस्था समिति**

1. श्री भगवान स्वरूप गौतम — अध्यक्ष
2. श्रीमती रेखा जैन — सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| | 3. श्रीमती ममता कंवर | सदस्य |
| | 4. श्रीमती पारस कंवर | सदस्य |
| | 5. श्रीमती शकुन्तला बैरवा | सदस्य |
| | 6. श्री गिर्राज प्रसाद महावर | सदस्य |
| | 7. श्री कृष्ण मुरारी सामरिया | सदस्य |
| | 8. श्री राममोहन मित्रा | सदस्य |
| | 9. श्री रामदेव वर्मा | सदस्य |
| | 10.श्रीमती शमा परवीन मिर्जा | सदस्य |

यह समिति नगर निगम सीमा के क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक नलों के रख रखाव एवं औचित्व के आधार पर नये सार्वजनिक नल लगाने, आवश्यकता एवं जनहित में आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक जल व्यवस्था तथा निगम सम्पत्तियों में जल वितरण के रख रखाव के उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ –साथ निगम सीमा में राजकीय जल – वितरण विभाग के स्थानीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर नागरिकों की कठिनाईयों के निराकरण में समन्वयक का उत्तरदायित्व निभाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| 10. **मेला व अन्य उत्सव आयोजन समिति** | 1. श्री राममोहन मित्रा | अध्यक्ष |
| | 2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा | सदस्य |
| | 3. श्री महेश गौतम | सदस्य |
| | 4. श्री रमेश चतुर्वेदी | सदस्य |
| | 5. श्री प्रकाश सैनी | सदस्य |
| | 6. श्री विकास तंवर | सदस्य |
| | 7. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता | सदस्य |
| | 8. श्री कृष्ण मुरारी सामरिया | सदस्य |
| | 9. श्री भगवान स्वरूप गौतम | सदस्य |
| | 10. सुश्री मोनू कुमारी मेघवाल | सदस्य |

यह समिति दशहरे मेले के प्रभावी वार्षिक आयोजन एवं उसके सुचारू प्रबन्धन, सुधार आदि के लिए लगातार योजनाऐं बनानें, मेले में दुकानों के आंवटन सांस्कुतिक कार्यक्रमों, रामलीलाओं के प्रबन्धन के साथ –साथ निगम द्वारा समय–समय पर वर्षभर आयोजित होने वाले उत्सवों आदि की भी व्यवस्था करेगी । मेले व उत्सवों के प्रयोजनार्थ सक्षम स्तर से वित्तीयएवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 11. **राजस्व कर वसूली समिति** | 1. श्री महेश गौतम (लल्ली) | अध्यक्ष |
| | 2. श्री महेश गौतम (सोनू) | सदस्य |
| | 3. श्री विनोद नायक | सदस्य |
| | 4. श्री देवेन्द्र चौधरी | सदस्य |
| | 5. श्रीमती हेमा सक्सेना | सदस्य |
| | 6. श्रीमती पारस कंवर | सदस्य |
| | 7. श्रीमती दुर्गेश कुमारी | सदस्य |
| | 8. श्रीमती मीना प्रजापति | सदस्य |
| | 9. श्रीमती बादाम बाई | सदस्य |
| | 10.श्री दिलिप पाठक | सदस्य |

यह समिति नगर निगम की ओर से वसूल होने वाले समस्त कर, यूजर चार्जेज, शुल्क, वसूली आदि जो नियमानुसार वसूल की जानी है की वसूली का प्रभावशाली प्रबन्धन करेगी और इसके प्रयोजनार्थ बकाया की वसूली के लिए अधिनियम के अन्तर्गत बिल, डिमान्ड नोटिस, वारण्ट आदि जारी करने विभिन्न अनुज्ञा शुल्क, किराया आदि की वसूली के संबंध में अधिनियम के

चैप्टर –VII के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन का प्रबन्धन करेगी। बिल, डिमाण्ड, वारण्ट आदि जहां फार्मो में निगम शब्दावली प्रस्तावित है उनका बोर्ड की और से उपयोग उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।

12. **गैराज वाहन संधारण व्यवस्था समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री गोपालराम मण्डा | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा | सदस्य |
| 3. | श्री मो0 युसुफ | सदस्य |
| 4. | श्री प्रकाश सैनी | सदस्य |
| 5. | श्री विनोद नायक | सदस्य |
| 6. | श्री रमेश चतुर्वेदी | सदस्य |
| 7. | श्रीमती पारस कंवर | सदस्य |
| 8. | श्री सुरेश मीना | सदस्य |
| 9. | श्रीमती मधु कंवर | सदस्य |
| 10. | श्रीमती बादाम बाई | सदस्य |

यह समिति नगर निगम के समस्त वाहनों के रख–रखाव, संधारण के संबंध में प्रबन्धन एवं नियंत्रण के लिए बोर्ड की ओर से उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी किन्तु जन–धन की हानि ओर सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड के वाहनों की मरम्मत व रख रखाव के कार्य को अग्निशमन अधिकारी की मांग के अनुसार प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करेगी।

13. **स्वर्ण जयन्ती रोजगार प्रबन्धन समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती रेखा लखारा | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नीरज कुशवाह | सदस्य |
| 3. | सुश्री मीनाक्षी गुप्ता | सदस्य |
| 4. | श्री मो0 युसुफ | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रेखा जैन | सदस्य |
| 6. | श्रीमती महक गौतम | सदस्य |
| 7. | श्री कृष्ण मुरारी सामरिया | सदस्य |
| 8. | श्रीमती मीना प्रजापति | सदस्य |
| 9. | श्रीमती बादाम बाई | सदस्य |
| 10. | श्री दिलिप पाठक | सदस्य |

केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से इन और ऐसी योजनाओं के लिए प्राप्त धन एवं बोर्ड के लिए निर्धारित उत्तरदायित्व का निर्वहन यह समिति करेगी। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारो के चयन और उनको उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेगी ओर ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्यिों को वित्तीय संस्थानों/बैंकिग आदि से ऋण उपलब्ण कराने और निर्धारित राजकीय सहायता के अंशदान की उपलब्धि का निर्वहन करेगी। बी0पी0एल परिवारों की पात्रता के परीक्षण और सर्वे आदि के कार्य में नियमानुसार सहयोग भी करेगी।

14. **गौशाला धर्मदा प्रबन्धन समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री पवन अग्रवाल | अध्यक्ष |
| 2. | श्री बृजमोहन गौड़ | सदस्य |
| 3. | श्री गोपालराम मण्डा | सदस्य |
| 4. | श्री महेश गौतम (सोनू) | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रेखा लखारा | सदस्य |
| 6. | श्री रमेश चतुर्वेदी | सदस्य |
| 7. | श्री चन्द्र प्रकाश सोनी | सदस्य |
| 8. | श्री ओम कृष्ण गुंजल | सदस्य |
| 9. | श्री रामलाल भील | सदस्य |

10.सुश्री मोनू कुमारी मेघवाल सदस्य

यह समिति बजट के गौशाला फण्ड से व्यय होने वाले समस्त मदों पर व्यय एवं व्यवस्था का प्रबंधन नियमानुसार अपने में निहित अधिकारों के अनुरूप करेगी। गौशाला के सुचारू प्रबन्धन का उत्तरदायित्व निभाने के साथ–साथ शिक्षा अन्य सहायता आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के लिए अधिकृत अधिकारी और वित्तीय समिति जैसी स्थिति हो, की सक्षम स्वीकृति से कार्य करेगी । कॉयन हाउसों में दाखिल होने वाले जानवरों के रख–रखाव के निर्वहन के साथ जानवर पकड़ने वाली गैंग का सुपरविजन भी यह समिति कर सकेगी।

**15. अतिक्रमण निरोधक समिति**

1. श्री प्रकाश सैनी अध्यक्ष
2. श्री रमेश आहूजा सदस्य
3. श्री पवन अग्रवाल सदस्य
4. श्री ध्रुव प्रकाश राठौर सदस्य
5. श्री महेश गौतम (सोनू) सदस्य
6. श्रीमति मधु कुमावत सदस्य
7. श्री जगदीश सिंह मोहिल सदस्य
8. श्री भगवान स्वरूप सदस्य
9. श्री नीरज कुशवाह सदस्य
10. श्री सीताराम शर्मा सदस्य

यह समिति अधिनियम की धारा 245 के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण और अवरोध हटाने संबंधित सभी कार्य जनहित में सम्पन्न कराने के लिय बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करेगी। इसके साथ धारा 183,190,191,245,246 के संबंध में धारा 301 के संबंध में निगम के विधि अनुभाग विधि सलाहकारों से परामर्श लेकर बैठको के आयोजन और तत्सम्बन्धित कार्यवाही को अंजाम देगी।

**16. निर्माण (वर्क्स) समिति**

1. श्री रमेश चतुर्वेदी अध्यक्ष
2. श्री अतुल कौशल सदस्य
3. श्री चिमन लाल बैरवा सदस्य
4. श्री ओम कृष्ण गुंजल सदस्य
5. श्री मो0 युसुफ सदस्य
6. श्री गोपालराम मण्डा सदस्य
7. श्री महेश गोतम (लल्ली) सदस्य
8. श्री राममोहन मित्रा सदस्य
9. श्रीमती मीना प्रजापति सदस्य
10. श्री जगदीश सिंह मोहिल सदस्य

यह समिति नगर निगम के कार्यक्षैत्र में जन–सुविधाओं के लिए सड़को नालियों, पेशाबघर, सार्वजनिक तहारतों ,खरन्जों, सीवरलाइनों फुटपाथों, भवनों व अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए निगम के अभियांत्रिक अनुभाग के सुपरविजन का दायित्व निभाते हुये जनहित में इन सुविधाओं के लिए योजनाऐं, एस्टीमेट बनवाकर यथासंभव सभी वार्डों में समानता से अनुशंषा करेंगी एवं सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित करवाकर कार्य करवाएगी।

**17. आपदा प्रबन्धन, फायर ब्रिगेड सहायता समिति**

1. श्री अतुल कौशल अध्यक्ष
2. श्री इन्द्र कुमार जैन सदस्य
3. श्री राममोहन मित्रा सदस्य
4. श्री गोपालराम मण्डा सदस्य
5. श्री ध्रुव प्रकाश राठौर सदस्य
6. श्रीमती राखी गौतम सदस्य

7. श्री सुरेश मीणा — सदस्य
8. श्री नीरज कुशवाह — सदस्य
9. श्रीमती सुनिता मीणा — सदस्य
10. श्रीमती धापू मेहरा — सदस्य

यह समिति अधिनियम की धारा 242,243,260,262 के अधिकारों के प्रयोग के साथ–साथ नगर निगम सीमा में पिकनिक स्थलों और ऐसे सार्वजनिक दार्शनिक स्थलों, नदी–नालों पर होने वाले आये दिन की घटनाओं के निदानहेतु बोर्ड की ओर से योजनाबद्ध प्रबन्धन के लिए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी। जन–धन की क्षति को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड अनुभाग के कार्य जनहित में प्रभावी प्रबन्धन करेगी। अग्निशमन का कार्य विधि अनुरूप निगम के लिए अनिवार्य कर्त्तव्यों का पार्ट है इसलिए यह समिति अधिनियम की धारा 255 व 257 में बोर्ड के कर्त्तव्यों का निर्वहन भी करेगी। विभिन्न विधियों में फायर ऑफिसर के लिए निर्धारित कर्त्तव्यों का निर्वहन यह अधिकारी करेंगे, इनके उत्तरदायित्व व अधिकारों के निर्वाध निर्वहन के लिए तथा फायर ब्रिगेड की प्रशासनिक कार्यकारी व्यवस्था के लिए फायर ऑफिसर पूर्वानुसार उत्तरदायित्व निभाएगें।

18. **प्रचार प्रसार व पुस्तक वाचनालय प्रबन्धन**

1. श्री कृष्ण मुरारी — अध्यक्ष
2. श्रीमती ममता महावर — सदस्य
3. श्रीमती रेखा जैन — सदस्य
4. श्री देवेन्द्र चौधरी — सदस्य
5. श्री सीताराम शर्मा — सदस्य
6. श्रीमती शकुन्तला बैरवा — सदस्य
7. श्री दौलतराम मेघवाल — सदस्य
8. श्री गिर्राज प्रसाद महावर — सदस्य
9. श्री रामदेव वर्मा — सदस्य
10. श्रीमती शमा परवीन मिर्जा — सदस्य

यह समिति निगम की ओर से प्रचार प्रसार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन करवाने के साथ–साथ निगम के कार्यक्षैत्र में स्थापित वाचनालयों/पुस्तकालयों का सुचारू प्रबन्धन करने के लिए उत्तरदायित्व निभाएगी। निगम की सीमा में सम्मिलित ग्रामिण क्षैत्रों में वाचनालय स्थापित करने और वाचनालयों/पुस्तकालयों के सुधार और जनसंपर्क के साधन बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर सक्षम स्तर पर स्वीकृति की व्यवस्था करेगी।

19. **नगर आयोजन एवं सौन्दर्यकरण समिति**

1. श्रीमती वन्दना अग्रवाल — अध्यक्ष
2. श्री सीताराम शर्मा — सदस्य
3. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता — सदस्य
4. श्री चन्द्रप्रकाश सोनी — सदस्य
5. श्रीमती रेखा लखारा — सदस्य
6. श्रीमती ममता कंवर — सदस्य
7. श्रीमती कमलेश बाई नागर — सदस्य
8. श्रीमती मधु कंवर — सदस्य
9. श्रीमती दुर्गेश कुमारी — सदस्य
10. श्रीमती राखी गौतम — सदस्य

यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के चैप्टर XI में अरबन मास्टर प्लान के लिए सिविक सर्वे करवाएगी और योजना व परियोजनाओं Redevelopment Scheme, स्लिप लाइनों, डिवाइडरों, वृक्षारोपण और अन्य ऐसे स्ट्रक्चरों की योजनाऐं प्रस्तुत

करवाएगी जो शहरी सौन्दर्यीकरण के लिए कारगर प्रतीती हो। ऐसे निर्मित प्रारूप धारा 176 के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेगें।

20. **उद्यान प्रबन्ध समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री विनोद नायक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री प्रकाश सैनी | सदस्य |
| 3. | श्री बृजमोहन गौड़ | सदस्य |
| 4. | श्री ध्रुव प्रकाश राठौर | सदस्य |
| 5. | श्री बशरूद्दीन कुरैशी | सदस्य |
| 6. | श्रीमती हेमा सक्सैना | सदस्य |
| 7. | श्रीमती ममता कंवर | सदस्य |
| 8. | श्री दौलतराम मेघवाल | सदस्य |
| 9. | श्री दीनदयाल चौबदार | सदस्य |
| 10. | श्री रामदेव वर्मा | सदस्य |

यह समति निगम के प्रतिष्ठित चम्बल गार्डन, गांधी उद्यान, भीतरिया कुण्ड निगम के क्षैत्राधिकार में अन्य समस्त पार्को, सर्किलो, स्टेच्यूज के साथ छोटे बड़े हरियाली, वृक्षो व अन्य समस्त ऐसे स्थल जो जनता के मनोरंजन के साधन बगीचों के रूप में इनका संधारण करवायेगी। और इन पार्को में लगे हुए हुए बच्चों के उपकरण इत्यादि का संधारण करवाने के लिए भी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी। यह समिति ऐसे स्थलों के विकास, विस्तार के लिए भी योजनाए प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करवाएगी और उद्यान अनुभाग पर इस समिति का सुपरविजन होगा।

21. **सफाई व्यवस्था**

**समिति :– (1)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सुनिता व्यास उपमहापौर, | अध्यक्ष |
| 2. | श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा | सदस्य |
| 3. | श्री रमेश आहूजा | सदस्य |
| 4. | श्री देवेन्द्र चौधरी | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रेखा जैन | सदस्य |
| 6. | श्रीमती शकुन्तला बैरवा | सदस्य |
| 7. | श्री गिर्राज प्रसाद महावर | सदस्य |
| 8. | श्री भगवान स्वरूप गौतम | सदस्य |
| 9. | श्रीमती मीना प्रजापति | सदस्य |
| 10. | श्रीमती राखी गौतम | सदस्य |

यह समिति नगर निगम की सीमा में आने वाले विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण, लाड़पुरा एवं रामगंजमण्डी, में आने वाले वार्ड 4 से 10, 20 से 33 तथा 44 से 65 तक के (कुल 43 वार्ड) वार्डो का सफाई संबंधित उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का निवर्हन बोर्ड की ओर से करेगी तथा इस संबंध में सफाई की बीट्स में सफाई श्रमिको की उपलब्धि तथा बीट्स में कार्यरत सफाई कर्मियों,जमादारों,निरीक्षकों मुख्य सफाई निरीक्षकों, सफाई अभियन्ता और स्वास्थ्य निरीक्षक पर नियंत्रण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। व सफाई संबंधी कार्यो के संविदाओं आदि से संबंधित बोर्ड की ओर से उत्तरदायित्व निभायेगी। अधियिम की धारा 200 से 216,242,249,250,259 तथा अधिनियम के चेप्टर – XII अन्तर्गत इन कार्यो से सम्बन्धित अन्य धाराओं के प्रावधानों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो तो इस समिति के अध्यक्ष सम्बन्धित समितियों के अध्यक्षों की आपसी सहमति से सामूहिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

22. **सफाई व्यवस्था**

**समिति (2)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री इन्द्र कुमार जैन | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती मधु कुमावत | सदस्य |

3. श्री चिमन लाल बैरवा — सदस्य
4. श्री राकेश पुटरा — सदस्य
5. श्रीमती सुनिता मीणा — सदस्य
6. श्रीमती वन्दना अग्रवाल — सदस्य
7. श्रीमती ममता महावर — सदस्य
8. श्री सीताराम शर्मा — सदस्य
9. श्री दीनदयाल चौबदार — सदस्य
10. श्री अनिल सुवालका — सदस्य

यह समिति नगर निगम की सीमा में आने वाले विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के वार्ड संख्या 1 से 3, 11 से 19 तथा 34 से 43 तक के (कुल 22 वार्ड) वार्डो का सफाई संबधित उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का निर्वहन बोर्ड की ओर से करेगी तथा इस संबंध में सफाई की बीट्स में सफाई श्रमिको की उपलब्धि तथा बीट्स में कार्यरत सफाई कर्मियों, जमीदारों,निरीक्षकों मुख्य सफाई अभ्यिन्ता और स्वास्थ्य निरीक्षक पर नियंत्रण आदि के लिए उत्तदायी होगी। व सफाई संबंधी कार्यो के संविदाओं आदि से संबंधित बोर्ड की ओर से उत्तरदायित्व निभायेगी। अधिनियम की धारा 200 से 216,242,249,250,259 तथा अधिनियम के चेप्टर – XII अन्तत इनक कार्यो से सम्बन्धित अन्य धाराओं के प्रावधानों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो तो इस समिति के अध्यक्ष सम्बन्धित समितियों के अध्यक्षों की आपसी सहमति से सामूहिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

23. **सुरक्षा समिति**

1. श्री राकेश पुटरा — अध्यक्ष
2. श्री चिमनलाल बैरवा — सदस्य
3. श्रीमती स्नेहलता सिंह — सदस्य
4. श्रीमती रजिया पठान — सदस्य
5. श्री ओम कृष्ण गुंजल — सदस्य
6. श्रीमती धापू मेहरा — सदस्य
7. श्री विकास तंवर — सदस्य
8. श्री युधिष्ठर चांनसी — सदस्य
9. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता — सदस्य
10. श्री मोहम्मद हुसैन(मोम्दा) — सदस्य

यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 290 व 291 एवं निगम सम्पत्तियों, अधिकारियों/कर्मचरियों की सुरक्षा संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।

24. **भूमि भवन सम्पदा समिति**

1. श्री देवेन्द्र चौधरी — अध्यक्ष
2. श्रीमती मधु कुमावत — सदस्य
3. श्रीमती सुनिता मीणा — सदस्य
4. श्री राकेश पुटरा — सदस्य
5. श्री विकास तंवर — सदस्य
6. श्री बृजमोहन गौड़ — सदस्य
7. श्रीमती महक गौतम — सदस्य
8. श्रीमती कमलेश बाई नागर — सदस्य
9. श्री युधिष्ठर चॉनसी — सदस्य
10. श्री मोहम्मद हुसैन (मोम्दा) — सदस्य

यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 67,68,69,70 व 75 से संबंधित उत्तरदायित्वों, नगर निगम की सम्पति अर्जित तथा धारण करने, भूमि का अर्जन करने

तथा स्थावर नगरपालिका सम्पत्ति की तालिका, मानचित्र और सम्पत्तियों के अभिलेखों का संधारण आदि का निर्वहन करेगी।

उपरोक्तानुसार समितियों को प्रदान किये गये कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के संबंध में उन समितियों के अध्यक्षो एवं सदस्यों से अपेक्षा की जाती है किवे अपने–अपने कार्य तत्काल प्रारम्भ करें। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये Rajasthan Municipalities(Powers, Duty and Functions of (Committees) Rules 2009 अन्य सभी सुसंगत नियमों और लागू अधिसूचनाओ के एवं समय–समय पर राज्य सरकार से होने वाले निर्देशों परिपत्रों के अनुसार कार्य करेगी। किसी भी समिति के अध्यक्ष को समितियों में स्वयं के स्तर से निर्णय करने का अधिकार नही होगा। समिति द्वारा बैठक में ही निर्णय लिया जाना है। अतः समिति के अध्यक्ष अपनी–अपनी समिति की बैठक बुलाकर निर्णय करावे। समितियों के कार्य संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा Rajasthan Municipalities(Powers, Duty and Functions of (Committees)Rules 2009 बनाये हुये है। अतः समितियों के सभी अध्यक्षों को अपनी–अपनी समितियों का कार्य उक्त नियमों एवं संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित करना है। प्रत्येक समिति की 2 माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। इससे अधिक बैठक करने पर कोई प्रतिबंध नही है। प्रत्येक समिति द्वारा लिये गये समस्त निर्णय महापौर महोदय को प्रस्तुत किये जायेगें और विवरण राज्य सरकार को भिजवाना आवश्यक है।

**आयुक्त**
**नगर निगम कोटा**

**महापौर**
**नगर निगम कोटा**

**कमांकः'– ननिको /का.अ./2015** 1197–1211 **दिनांक :–** 31/8/15

1. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा।
3. महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
4. उपमहापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
5. जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
6. समस्त समिति अध्यक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री.......................................... नगर निगम कोटा।
7. समस्त निगम पार्षद महानुभाव श्री/श्रीमती/सुश्री............................ नगर निगम कोटा।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा।
9. उपायुक्त (रामपुरा जोन/मुख्यालय जोन/विज्ञान नगर जोन/राजस्व) नगर निगम कोटा।
10. समस्त पदेन सचिव समितियां, नगर निगम कोटा।
11. समस्त सह सचिव समितियां, नगर निगम कोटा।
12. निजि सचिव, महापौर/आयुक्त, नगर निगम कोटा।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर निगम कोटा।
14. कार्यालय अधीक्षक (सामान्य), नगर निगम कोटा।
15. गार्ड फाईल।

**आयुक्त**
**नगर निगम कोटा**